E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com GST:06AABCN8973F2Z7

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

¼भारत सरकार का उपक्रम – मिनिरत्न कम्पनी½
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking –Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
केंद्रीय राज्य फार्म/Central State Farm
१० कि० मी ० सिरसा रोडहिसार ,/10 KM. Sirsa Road Hisar –125001
मुख्यालय : बीजभवन, पूसापरिसर, नईदिल्ली-१२/BEEJ BHAWANA, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

ई-निविदा सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार पर विभिन्न कृषि कार्यों को प्रति घंटा/ प्रति एकड़ पर करवाने के लिए कृषि मशीनरी चालक/ श्रमिको की आपूर्ति करने हेतु पंजीकृत निविदादाताओं से दो बिड सिस्टम के आधार पर ई -निविदाएँ दिनांक 19.03.2025 को दोपहर 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है यदि निविदा इस दिन नहीं होती है तो अगली दिनांक 25.03.2025 होगी | विस्तृत विवरण हमारी वैबसाइट www.indiaseeds.com से भी देखा जा सकता है | निविदादाता हमारे ई-पोर्टल http//indiaseeds.enivida.com/ के माध्यम से अपनी निविदा प्रेषित करें | इस सम्बन्ध में यदि कोई भूल सुधार ज्ञापन होगा तो केवल वेबसाइट पर ही डाला जायेगा |

1	कार्य का विवरण	केन्द्रीय राज्य फार्म , हिसार पर निम्नलिखित कृषि कार्यों को रेट कान्ट्रैक्ट बैसिस पर करवाने के लिए कृषि मशीनरी चालक / vehicle चालक की आपूर्ति करने हेतु
2	स्थान	केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार
3	अनुमानित लागत	1,10,00,000/-
4	राशि EMD	3,30,000/-
5	निविदा प्रपत्र की कीमत	1298/- (1100/- + 18%GST)
6	EMD व निविदा प्रपत्र की राशि भरने हेतु	e निविदा पोर्टल 9355030617, 8448288980
7	चालक श्रमिक उपलब्ध करवाने की / अनुमानित अवधि	2 Year
8	निविदा प्रारंभ होने की तारीख व समय	06.03.2025
9	निविदा जमा करने का अंतिम दिन व समय	19.03.2025
10	निविदा खोलने का दिन व समय	Technical bid: -19.03.2025 Time 02:00 PM Financial bid: - ------
11	बिड वैलिडिटी	90 दिन
11	पत्राचार का पता	निदेशक ,राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड , केंद्रीय राज्य फार्महिसार, E-mail: csf.hisar@indiaseeds.comMobile 8410464624

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

SECTION-1

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bid sheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc.) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.

14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

.

केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार

विभिन्न कृषि कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार दैनिक आधार पर कृषि मशीनरी चालक उपलब्ध करवाने हेतु नियम व शर्तें

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता के पास अपनी फर्म का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड होना अनिवार्य है | निविदादाता के पास गत तीन वर्षों में से कम से कम एक वर्ष का केन्द्रीय अथवा राजकीय सरकारी कार्यालय/ केन्द्रीय या राज्य स्वायतशासी संस्था में निविदा से सम्बंधित कार्य किये जाने बाबत अनुभव होना अनिवार्य है | निविदादाता को नियोक्ता संस्थान द्वारा अनुभव प्रमाणपत्र/ कार्यादेश की प्रति तकनिकी निविदा में अपलोड करनी होगी |
2. निविदादाता के पास विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर न्यूनतम 50 लाख प्रति वर्ष होना आवश्यक है |
3. निविदादाताको ई-निविदा में भाग लेने के लिए e nivida Portal के खाते में Tender Fees / EMD राशि जमा करनी होगी | धरोहर राशि और निविदा शुल्क के बिना, निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। एमएसएमईस्टार्टअप/एमएसई/ फर्मों को निविदा शुल्क से छूट दी गई है हालाँकि, बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करते समय एमएसएमई/ एमएसई/ स्टार्टअप से वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता किसी भी संस्था/ सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिए, रा. बी. नि. के किसी भी कार्यालय में कोई भी कानूनी विवाद लंबित नहीं होना चाहिए| इसके लिए निविदादाता को गैर काली सूची बद्ध का शपथ पत्र (Annexure-C पर दिए अनुसार) तकनिकी निविदा के साथ अपलोड करना होगा |
5. EMD राशी व निविदा शुल्क केवल निविदादाता के खाते से ही जमा करनी होगी | जमा की गयी EMD राशि, निविदा फॉर्म शुल्क (गैर वापसी योग्य) का विवरण Annexure-B पर दिए गये प्रारूप में भरकर अपलोड करने होंगे |
6. निविदादाता को निविदा के नियम व शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा की प्रत्येक नियम व शर्तों की स्वीकृति के रूप में अपने हस्ताक्षर कर/ Digitally signature तकनिकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है | **अहस्ताक्षरित निविदा स्वीकार नही की जाएगी** | सक्षम आधिकारी की अनुमति के उपरांत तकनीकी निविदा में योग्य पाई गयी निविदाओं की वित्तीय निविदा निर्धारित समय पर खोली जाएगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जाएगी | निविदादाता की शर्त पर निविदा स्वीकार्य नही होगी |
7. प्राप्त सभी निविदाओं या उनमे से किसी एक निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार के पास सुरक्षित रहेगा |
8. निविदादाता फर्म का केंद्र/ राज्य सरकार के श्रम विभाग से पंजीकरण होना अनिवार्य है जिसके वैध दस्तावेज तकनीकी निविदा में अपलोड करने होंगे।
9. जिस निविदादाता के अधिकतम कार्यों में दरें न्यूनतम पाई जाती हैं उसे अन्य कृषि कार्यों का कार्य भी अन्य पार्टी के L1 रेट पर करने होंगे। In view of smooth functioning of contract work , Party offering L1 rates for maximum no. of works will be offered to perform left over works at L1 rates offered by other party.
10. सफल निविदादाता की धरोहर राशी प्रतिभितु (Security Deposit) / अमानत राशी के तौर पर समायोजित की जाएगी| सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत असफल निविदादाताओं की धरोहर राशी को सम्बंधित निविदादाता के बैंक खातें में 30 कार्य दिवसों के अन्दर वापस किया जायेगा जिसके लिए सभी निविदादाताओं को अपने बैंक खाते का विवरण **Annexure-A** में दिए फॉरमेट में भर कर स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी | L1 निविदादाता को दी गयी दरों पर दर Negotiation के लिए बुलाया जा सकता है |

11. L1 निविदादाता को ठेका आवंटित होने की स्तिथि में उसे प्रतिभूति (Security Deposit)/ अमानत राशि के रूप में कार्य की अनुमानित राशि का 5 % तुरंत जमा करवाने होंगे जिसमे उसकी पूर्व में जमा धरोहर राशि को समायोजित किया जा सकेगा | प्रतिभूति (Security Deposit)/ अमानत राशि को अनुबंध समाप्ति के एक माह पश्चात बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जायेगा |
12. सफल निविदादाता के साथ वांछित कृषि चालक/ मानवशक्ति प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार अनुबंध, 100 रुपये के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प **Annexure-f** पर दिए अनुसार हस्ताक्षरित करेगा | स्टाम्प की राशि सफल निविदादाता को वहन करनी होगी | संतोषपूर्ण सेवाओं के आधार पर उक्त अनुबंध की समीक्षा उपरांत अगले एक वर्ष तक दोनों पक्षों की सहमती पर अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है |
13. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य वचनबद्ध रहेगी | यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संसोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी |
14. यदि निविदाकर्ता अपनी निविदा की वैधता की अवधि के भीतर किसी भी संबंध में निविदा वापस लेता है या निविदा से हटता है या निविदा में संशोधन करता है, या अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी तरीके से अनुबंध की किसी भी शर्त को भंग करता है या चालक/ श्रमिक उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहता है या कार्मिक प्रदान करने वाली संस्था (अनुबंधित निविदादाता) द्वारा उपलब्ध करवाई गयी मानव शक्ति के लगातार अनुपस्थित होने पर या कदाचार करने की स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि को जब्त करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा |
15. चालक/ श्रमिक उपलब्ध करवाने वाली संस्था की सेवाएं असंतोषजनक रहने या अन्य किसी विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार का सक्षम अधिकारी अपने विवेक से 7 दिनों के अग्रिम नोटिस पर अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है | ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य निविदाओ में से क्रमानुसार जिसकी दर न्यूनतम होगी उसे सहमती से ठेका कार्य आवंटित करने का अधिकार राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के सक्षम अधिकारी के पास होगा |
16. चालक/ श्रमिक प्रदान करने वाली संस्था को प्रत्येक माह के बिल के साथ अपने पत्र पैड पर प्रमाण पत्र देना होगा कि उसने फार्म पर लगाए गए सभी ड्राइवर के वेतन का भुगतान केन्द्र/राज्य सरकार (जोभी अधिक हो) के श्रम कानून के अनुसार किया है व उसके द्वारा सभी कामगारों का ई.पी.एफ./ई.एस.आई. जमा करा दिया गया है। सुरक्षा, जोखिम, अक्षमता, वैचारिक मतभेद और गोपनीयता भंग करने या अनुचित आचरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार द्वारा अस्वीकार्य कर्मी का कार्यालय से लिखित नोटिस प्राप्त होते ही तुरंत संस्था/ ठेकेदार को उक्त कर्मी को अविलम्ब कार्य से हटाकर तुरंत नया कर्मी उपलब्ध करवाना होगा |
17. चालक/ श्रमिक प्रदान करने वाली संस्था द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के निजी सामान, उपकरण व वाहन की चोरी या क्षति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड हिसार की किसी भी प्रकार की कोई जिमेदारी नही होगी |
18. संस्था/ ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गए कृषि मशीनरी चालक/ श्रमिक की लापरवाही से यदि किसी फार्म मशीनरी/ फार्म का कोई नुकसान (टूट-फूट या किसी भी प्रकार की चोरी) होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिलों से की जाएगी, नुकशान का आंकलन फार्म के सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति से करवाया जायेगा और इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा |
19. चालक/ श्रमिक प्रदान करने वाली संस्था द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की अनुसाशनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए संस्था खुद जिम्मेदार होगी | ठेकेदार के कर्मी कार्यालय के विवरण प्रक्रिया, तकनिकी खुलासे, सुरक्षा व्यवस्था और प्रसाशनिक संगठनात्मक मामलों को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट नही करेगा |
20. ठेकेदार/ संस्था द्वारा लगाये गये चालक/ श्रमिक को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के खिलाफ कर्मचारी नियोक्त सम्बन्ध एवं स्थायी रोजगार के लिए दावा करने का हक नही होगा | ठेकेदार इस विषय में हमारे यहां नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति से वचनबद्ध प्राप्त कर ले |
21. चालक/ मानवशक्ति प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाए गये चालको के पास सम्बंधित मशीनरी चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस का होना अतिआवश्यक है | चालक के ड्राइविंग लाईसेंस के

नवीकरण की सम्पूर्ण जिमेद्दारी स्वयं चालक/ ठेकेदार की होगी | यदि चालक की लापरवाही से कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/ संस्था की होगी |

22. चालक/ मानवशक्ति प्रदाता संस्था द्वारा ठेके के कार्य को किसी अन्य संस्था को हस्तानान्तरित नही किया जाएगा|
23. संस्था/ ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गये चालको/ मानवशक्ति को निगम की और से भोजन, आवागमन संसाधन, चिकित्सा आदि उपलब्ध नही करवाया जायेगा | इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित चालक/ मानवशक्ति प्रदाता संस्था की होगी |
24. ठेकेदार/ संस्था द्वारा चालको/ श्रमिको का भुगतान अनिवार्यरूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा अर्थात किसी भी प्रकार का नगद भुगतान स्वीकार्य नही होगा | सम्बंधित ठेकेदार/ संस्था द्वारा चालको/ श्रमिको के खाते में जमा करवाई गयी राशि का विवरण राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार को बिलों के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा | चालको/ श्रमिको के बैंक खाते में जमा करवाई गयी राशि के विवरण बाबत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार की संतुष्टि होने पर ही ठेकेदार/ संस्था को आगामी माह के बिलों का भुगतान किया जायेगा | बिलों का भुगतान 30 दिनों के भीतर (अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़ कर) मासिक आधार पर आवश्यक टैक्स काटकर किया जायेगा |
25. ठेकेदार/ संस्था को राज्य/ केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों अनुसार अपने समस्त चालको/ श्रमिको का नियमानुसार **ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ.** जमा करवाना होगा जिसमे नियोजित चालको/ श्रमिको की मजदूरी राशि से कटौती व ठेकेदार/ संस्था का अंशदान शामिल होगा | ठेकेदार/ संस्था द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे चालको/ श्रमिको के ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा करवाए जाने पर ही ठेकेदार/ संस्था को आगामी बिल/ बिलों का भुगतान किया जायेगा | जिसके लिए ठेकेदार/ संस्थाप्रत्येक माह की ECR रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा |
26. **"सभी प्रकार के कर जमा करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार/पार्टी की होगी। कृषि कार्यों हेतु ट्रैक्टर चालकों की नियुक्ति में GST Notification No. 11/2017/CT (Rate) Dated 28-06-2017) के अनुसार जीएसटी लागू नहीं होगा एवं कृषि कार्यों के अतिरिक्त नियुक्त किए जाने वाले चालकों पर नियमानुसार जीएसटी देय रहेगा। पार्टी द्वारा जिन कृषि कार्यों पर जीएसटी लागू नहीं है उनके संबंध में बिल अलग से प्रस्तुत करना होगा एवं जिन कार्यों पर जीएसटी लागू है उनके संबंध में अलग से बिल प्रस्तुत करना होगा।ठेकेदार/ संस्था द्वारा गत माह में जमा करवाए गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिलों के साथ अनिवार्य रूप से जमा करवानी होगी | वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा करवाने के प्रमाण स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत नही करने की स्थिति में आगामी माह के बिलों में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा | उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन का उतरदायित्व ठेकेदार/ संस्था का ही होगा।"**
27. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974, अनुबंधित श्रमिक (विनिमय एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम, 1923, और समय-समय पर लागु कानूनो नियमो और विनियमों के प्रावधान के अनुपालन का वैधानिक दायित्व सिर्फ और सिर्फ चालक/ श्रमिक प्रदान करने वाली संस्था/ ठेकेदार का होगा | किसी भी नियमो, उपनियमो, अधिनियमों व अधिसूचनाओ, दिशा निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामो/ दायित्वों के लिए ठेकेदार/ संस्था स्वयं पूर्णरूपेण उतरदायी होगा |
28. यदि ठेकेदार/ संस्था व लगाये गये चालक/ श्रमिको के बिच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी ठेकेदार/ संस्था की होगी |
29. किसी भी स्थिति में, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, हिसारठेकेदार / एजेंसी द्वारा लगाये गये श्रमिकों/ चालकों को बकाया भुगतान या देय किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और इसकी गैर-अनुपालना करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त करते हुए ठेकेदार/ संस्था को काली सूचि में डाल दिया जायेगा | यदि ठेकेदार/ संस्था उसके द्वारा उपलब्ध करवाए गये चालकों/ श्रमिकों को उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार अनुबंधित चालकों/ श्रमिकों को मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के तहत भुगतान करेगा तथा अनुबंधित चालक/ मजदुर को किये गये भुगतान की राशि की कटोती ठेकेदार/ संस्था के मासिक बिलों से की जाएगी | इस स्थिति में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही करने पर ठेकेदार/ संस्था की प्रतिभूति राशि/ EMD जब्त कर अनुबंध निरस्त

करते हुए काली सूचि में डाला जायेगा | (NSC shall not be liable for any payment due or payable to the workers engaged by the contractor/ Agency. And any noncompliance of its responsibility will result in termination of this contract and debar/ blacklisting of the contractor/ Agency without any prior notice. If the contractor fails to pay minimum wages notified by appropriate Government NSC will take action for payment of wages to the contract labour as per Payment of Wages Act 1936 and the amount paid to contract labour will be deducted from the monthly bill of the contractor. Further action will also be taken against the contractor for non-payment of notified minimum wages including debarment and black listing of the contractor and agency.)

30. ठेकेदार/ संस्था को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक चालको/ श्रमिको का भुगतान करना होगा | यदि निर्धारित समय के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार द्वारा ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा एवं 0.5 प्रतिशत प्रति बिल राशि प्रति हफ्ते से बिल के भुगतान में कटोती की जाएगी|
31. किसी भी नाबालिक (18 वर्ष से कम आयु) व कार्य करने में असक्षम व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जायेगा |
32. ठेकेदार/ संस्था द्वारा चालको/ मानवशक्ति राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड हिसारकी आवश्यकतानुसार दैनिक आधार पर उपलब्ध करवाए जायेंगे | जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/ बढाई जा सकती है | यदि ठेकेदार/ संस्था द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों हेतु चालक/ श्रमिक उपलब्ध नही कराए तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बंधित अधिकारी/ कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार/ संस्था की दरों से अधिक दर पर चालक/ श्रमिक लगाकर पूर्ण कर सकेंगे जिसका भुगतान ठेकेदार/ संस्था की अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार उसकी अमानत राशि में से पेनल्टी के तौर पर काट लेगा | समय पर कार्य संपादन न करवाने व चालक/ श्रमिक उपलब्ध न करवाने व निविदा की शर्तों को न मानने पर ठेकेदार/ संस्था को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा और भविष्य में निविदा में भाग लेने से वांछित किया जायेगा | तथा धरोहर राशी को जब्त कर लिया जायेगा |
33. ठेकेदार/ संस्था को यथासंभव पूर्व में ही फार्म की मशीनरी से करवाए जाने वाले कृषि कार्य (कार्य का प्रकार व क्षेत्र) के बारे में अवगत करवा दिया जायेगा, फिर भी दिन, समय, कार्य का प्रकार, क्षेत्र का नाप जितने में कार्य करवाना है सभी प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए ठेकेदार/ संस्था को तुरन्त चालको/ श्रमिको की व्यवस्था करनी पड़ेगी|
34. ठेकेदार/ संस्था द्वारा कार्य के लिए लगाये जाने वाले चालको/ श्रमिको की सूचि नाम मय पिता का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, उम्र, पहचान पत्र की प्रति व उपस्थिति इत्यादि के लिए रजिस्टर संधारित करना होगा | जिसकी सूचि आवश्यकता पड़ने पर फार्म को भी उपलब्ध करवायी जाएगी |
35. मानवशक्ति प्रदाता संस्था द्वारा प्रदत चालको/ कामगारों को नियमित रूप से भुगतान करेंगे तथा उसकी मासिक रिपोर्ट (श्रमिको चालको को किये गये भुगतान की प्रमाणित रशीद अथवा बैंक खाते का विवरण बिल के साथ) नियमित रूप से फार्म को देना होगा |
36. मानवशक्ति प्रदाता ठेकेदार/ संस्था द्वारा लगाये गये श्रमिको/ चालको के साथ फार्म में कार्य करने के दौरान यदि कोई हादसा/ दुर्घटना होती है तो उसके लिए मानवशक्ति प्रदात ठेकेदार/ संस्था व चालक/ श्रमिक स्वयं पूर्ण रूपेण जेम्मेदार होगे |
37. ठेकेदार/ संस्था द्वारा विभिन्न कृषि कार्यो के लिए लगाये गये चालको को किये जाने वाले कृषि कार्यों को उचित मानको के अनुरूप करना होगा | यदि कृषि कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उस कार्य का भुगतान नही किया जायेगा |
38. ठेकेदार/ संस्था द्वाराफार्म पर security contract वर्तमान में नहीं लिया होना चाहिए।

ARBITRATION:

39. Arbitration/विवाचन :

यदि किसी शर्त या मामले के कारण NSCLtd और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो समय-

समयपर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत इस मुद्दे को हल करना पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, दोनों की सहमति से, पक्ष मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ

नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। मध्यस्थता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और अंग्रेजी भाषा में होगी। दिल्ली के न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा।

" In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion, then it shall be binding upon the parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time. Under this provision, the Chairman cum Managing Director, National Seeds Corporation Ltd with the concurrence of both the parties shall appoint Sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by the decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law.The Arbitration shall be conducted at New Delhi and shall be in English language. The court of Delhi shall have the jurisdiction."

40. **JURISDICTION:**

The parties hereby irrevocably consent to the sole jurisdiction of the Courts of New Delhi only in connection with any actions or proceedings arising out or in relation to this Tender.

उपरोक्त नियम व शर्तों (क्र. सं. 1 से क्र. सं. 40 तक) को मैंने अच्छे से पढ़ समझ लिया है व मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

(कंपनी लेटर हेड पर)

अनुलग्नक–ए

बयाना राशी /EMD के भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण

सेवा में,
निदेशक,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार
विषय : RTGSNEFT/RTGS-Reg.के माध्यम से हमारे बैंक खाते में EMD की वापसी बाबत|
महोदय,
यदि हम/मै निविदा में असफल होता हूं (असफल निविदादाता होता हूँ) तो कृपया हमारे/मेरे द्वारा जमा करवाई गयी EMD राशि हमारे/मेरे निम्नांकित बैंक खाते में वापस करने का कष्ट करें |

(अ)निविदादाता के बैंक का विवरण		त्वरित और शीघ्र पत्राचार के लिए निविदाकर्ता का संपर्क विवरण |	
बैंक का नाम एवं पता		पता:-	
EMD राशि :Rs			
खाता संख्या		टेलीफोन न.	
MICR Code.		मोबाइल न.	
IFSC Code.		फैक्स न.	
		E-mail id	

धन्यवाद

निविदाकर्ता के हस्ताक्षरमय सील

(कंपनी लेटर हेड पर)

अनुलग्नक–बी

केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने ईएमडी/ निविदा शुल्क जमा कर दिया है

सेवा में,
निदेशक,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार
विषय : जमा करवाई गयी EMD/ निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण |
महोदय,
हमने/मैंने निविदा मेंभाग लेने के लिए EMD राशि व निविदा प्रपत्र शुल्कराष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार के खाते में जमा करवा दिया है जिसका विवरण निम्नवत है |

Sr.No.	Particular	Amount in Rs.	E Nivida Transaction No./ Reference No. with Date	A/C no. Name and branch of the bank
1	EMD			
2	Tender Fee			

निविदाकर्ता के हस्ताक्षरमय सील

(कंपनी लेटर हेड पर)

अनुलग्नक–सी

संगठन द्वारा ब्लैकलिस्टिंग/ गैर-निषेध के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले वचनपत्र का प्रारूप

ब्लैकलिस्टिंग/गैर–निषेध के संबंध में वचनपत्र

शपथपत्र

सेवा में,
निदेशक,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार

हम इस बात की पुष्टि और घोषणा करते हैं कि हम, मेसर्स

____

किसी भी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ निजी क्षेत्र/ या किसी अन्य एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट/ डी–रजिस्टर/ निषेधित नहीं हैं और किसी भी एनएससी कार्यालय में कोई अदालती मामला लंबित नहीं है जिसके लिए हमने पिछले 5 वर्षों के दौरान कार्य/सेवाएं निष्पादित/ हासिल की हैं।

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षरमय सील)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांकः

(कंपनी लेटर हेड पर)

अनुलग्नक–डी

घोषणा

ठेकेदार के किसी भी नजदीकी रिश्तेदार (रिश्तेदारों) के लिए जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के विभाग में काम नहीं कर रहे हैं।

मैं____________S/o__________________R/o_______________इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि निविदा दस्तावेज संख्याः__________________ दिनांकः__________ में परिभाषित मेरे किसी भी रिश्तेदार (रिश्तेदारों) को निविदा दस्तावेज में दिए गए विवरण के अनुसार राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के विभाग में काम नहीं मिला है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत/झूठी है, तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सेंट्रल स्टेट फार्म, हिसार को बिना किसी पूर्व सूचना के उचित समझे कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर___________________________

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ___________________________

पद ___________________________

दिनांक ___________________________

बोलीदाता की मुहर

इस उद्देश्य के लिए निकटतम रिश्तेदारों को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

क) हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य।

ख) वे पति और पत्नी हैं।

ग) एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है जैसे पिता, माता, पुत्र और पुत्र की पत्नी (बहू), पुत्री और पुत्री का पति (दामाद), भाई और भाई की पत्नी, बहन और बहन का पति।

(कंपनी लेटर हेड पर)

अनुलग्नक–ई

धारा 206AB और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा के अनुसार घोषणा सह वचनबद्धता

सेवा में,
निदेशक,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार

विषय: तत्काल पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि करने की घोषणा

महोदय,

मैं, सुश्री/श्री/मेसर्स। _________________ स्वयं/मालिक/भागीदार/निदेशक की हैसियत से _________________ (इकाई का नाम) जिसका टीएमआईडी__________, पैन ______________ (इकाई का पैन) पंजीकृत कार्यालय/ स्थायी पता ____ है, एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए हमारी आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति निम्नानुसार हैः

Financial Year for which Income Tax Return was due as per Section 139(1)	Filed / Not filed	Date of Filing	ITR Acknowledgement No.	TDS/TCS is Rs. 50000/- or more (Yes/No)
2023-2024				
2022-2023				
2021-2022				

मैं/हम मेसर्स नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को किसी भी दावे/नुकसान/देयता/कार्रवाई के कारण के लिए पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं, जिसमें कोई भी कर, ब्याज, जुर्माना आदि शामिल है जो उपरोक्त किसी भी जानकारी की गलत/झूठी/गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न हो सकता है।

हस्ताक्षर____________________________

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ____________________________

पद ____________________________

दिनांक ____________________________

बोलीदाता की मुहर

अनुबंध पत्र

"अ"

यह करार आज दिनांक को फार्म प्रमुख, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,केन्द्रीय राज्य फार्म,हिसार (जिसको आगे प्रथम पक्षकार समझा जायेगा) व मैसर्स ____________________________(जिसको आगे द्वितीय पक्षकार/ ठेकेदार कहा गया है) के मध्य संपन्न किया गया है |

1. इस अनुबंध की अवधि दिनांक से तक या केन्द्रीय राज फार्म, हिसार के फार्म प्रमुख के अग्रिम आदेशों तक होगी | इस ठेके का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर फार्म प्रमुख द्वारा ठेके की अवधि को एक साल वर्तमान दरों एवं ठेके के प्रमुख द्वारा ठेके की अवधि को घटा कर 30 दिन का नोटिस देकर बिना किसी कारण के समाप्त किया जा सकता है | ठेके की अवधि को बढाने या घटाने का फेंसला पूर्ण रूप से फार्म प्रमुख पर निर्भर होगा व सुरक्षित होगा |
2. द्वितीय पक्षकार निविदा की सभी शर्तों का पालन करते हुए प्रथम पक्षकार द्वारा स्वीकृत दरें जोउन्होंने अपने पत्र क्रमांक एनएससी____________________________ दिनांक ________ द्वारा सूचित की है अन्य GST (सभी कर सहित, दरों पर कृषि कार्यों हेतु कृषि मशीनरी चालक उपलब्ध कराने को सहमत होगा | ठेकेदार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 में कार्यनिवित माल वा सर्विस टैक्स के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालन स्वीकरत दरों में करने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसी भी प्रकार के वैधानिक प्रावधान की अनुपालन जैसे जीएसटी, आदि के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।
3. द्वितीय पक्षकार ने __________रूपये सुरक्षा जमा राशि अनुबंध समाप्ति के ,वापसी योग्य) 2 माह पश्चात बिना किसी ब्याज केके रूप में Bank Guarantee संख्या _________ दिनांक _________ द्वारा जमा करवा दी है |
4. ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होने के 01 महीने के अन्दर केंद्र / हरयाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा श्रम संविदा अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 12 के मार्ग पर ठेके का कार्य करने हेतु जारी ठेकेदार लाइसेंस प्राप्त कर यात्रिक विभाग के कार्यालय में जमा कराना होगा| ठेकेदार द्वारा ठेकेदार लाइसेंस की अनुपालना तय समय सीमा में न करने की सिथति में ठेकेदार का मासिक भुगतान फार्म द्वारा रोक लिया जाएगा |
5. ठेकेदार को ठेके कार्य के बिल हर आगामी माह की 10 तारीख तक फार्म कार्यालय में वेतन भुगतान सूची ई.पी.एफ / ई.एस.आई , जी.एस.टी (wherever applicable) के समस्त दस्तावेजों सहित जमा कारना अनिवार्य होगा | फार्म द्वारा ठेकेदार को राशि का भुगतान मासिक आधार पर देय टैक्स कटाने के पश्चात् किया जाएगा| ठेकेदार को जीएसटी देय बिल अलग से प्रस्तुत करना होगा एवं जिन कार्यों में जीएसटी देय नहीं है बिल अलग से प्रस्तुत करना होगा| सही बिल प्रस्तुत करना ठेकेदार के जिम्मेदारी होगी|

6. ठेकेदार को प्रत्येक माह के बिल के साथ अपने पत्र पैड पर प्रमाण पत्र देना होगा कि उसने फार्म पर लगाए सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान केंद्र /राज्य सरकार के श्रम कानून के अनुसार किया है व उसके द्वारा सभी कामगारों का ई.पी.एफ / ई.एस.आई जमा कर दिया गया है | ठेकेदार प्रति माह अपने बिल के साथ उसके द्वारा फार्म पर ठेके के कार्य हेतु सभी नियुक्त सभी श्रमिकों/ ड्राइवर के बैंक खाते में केंद्र /हरियाणा सरकार की श्रम कानून के अनुसार जमा की गई वेतन की राशि भुगतान का विवरण/ ई.एस.आई की सभी न्यूनतम मजदूरी भुगतान, वस्तु एवं सेवाकर एवं अन्य वैज्ञानिक देयता को श्रम कानून के अंतर्गत आता है की प्रमार्ण संलग्न करेगा| यदि ठेकेदार मासिक बिल के साथ उपयुक्त दस्तावेज संलगन नहीं करता तो फॉर्म द्वारा उसके बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी| ठेकेदार द्वारा उपयुक्त सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में फॉर्म द्वारा उसके बिल का भुगतान बिल प्राप्ति के 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा|

7. ठेकेदार द्वारा फार्म पर कृषि कार्य हेतु लगाए गए श्रमिकों /ड्राइवर के वेतन का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक नहीं करने की स्थिति में फॉर्म प्रबंधक को प्रयुक्त नियोक्ता होने के नाते ठेकेदार के बिलों का भुगतान रोकने वह ठेकेदार को देय राशि (मासिक बिल / प्रतिभूति राशी) से श्रमिकों को सीधे भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा| ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन का भुगतान किए जाने व फॉर्म कार्यालय में श्रमिकों के अदेयता प्रमाणपत्र/ भुगतान का प्रमाण जमा करने के पश्चात ही फॉर्म प्रबंधन द्वारा ठेकेदार के बिल का भुगतान किया जाएगा|

8. ठेकेदार किसी प्रकार की फॉर्म /निगम विरोधी कार्यो में सम्मिलित नहीं होगा |अगर किसी भी समय यह पाया गया कि ठेकेदार का फॉर्म /निगम विरोधी हरकत में प्रत्यक्ष या अध्यक्ष रूप से शामिल है तो उसका ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी व उसको 5 सालों के लिए केंद्रीय राज्य फार्म हिसार के किसी भी ठेके में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा| ऐसी स्थिति में फॉर्म द्वारा कार्य किसी भी अन्य व्यक्ति/ फॉर्म से कराया जा सकता है व ऐसा होने पर जो भी आर्थिक व्यय होगा उसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि या फॉर्म द्वारा ठेके के कार्य बाबत देय मासिक भुगतान से कटौती कर ली जायगी|

9. चालक/ श्रमिक प्रदान करने वाली संस्था द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के निजी सामान, उपकरण व वाहन की चोरी या क्षति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड हिसार की किसी भी प्रकार की कोई जिमेदारी नही होगी |

10. संस्था/ ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गए कृषि मशीनरी चालक/ श्रमिक की लापरवाही से यदि किसी फार्म मशीनरी/ फार्म का कोई नुकसान (टूट-फूट या किसी भी प्रकार की चोरी) होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिलों से की जाएगी, नुकशान का आंकलन फार्म के सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति से करवाया जायेगा और इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा |

11. चालक/ श्रमिक प्रदान करने वाली संस्था द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की अनुसाशनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए संस्था खुद जिम्मेदार होगी | ठेकेदार के कर्मी कार्यालय के विवरण

प्रक्रिया, तकनिकी खुलासे, सुरक्षा व्यवस्था और प्रसाशनिक संगठनात्मक मामलों को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट नही करेगा |

12. ठेकेदार/ संस्था द्वारा लगाये गये चालक/ श्रमिक को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के खिलाफ कर्मचारी नियोक्त सम्बन्ध एवं स्थायी रोजगार के लिए दावा करने का हक नही होगा | ठेकेदार इस विषय में हमारे यहां नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति से वचनबद्ध प्राप्त कर ले |

13. चालक/ मानवशक्ति प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाए गये चालको के पास सम्बंधित मशीनरी चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस का होना अतिआवश्यक है |चालक के ड्राइविंग लाईसेंस के नवीकरण की सम्पूर्ण जिमेद्दारी स्वयं चालक/ ठेकेदार की होगी | यदि चालक की लापरवाही से कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/ संस्था की होगी |

14. चालक/ मानवशक्ति प्रदाता संस्था द्वारा ठेके के कार्य को किसी अन्य संस्था को हस्तानान्तरित नही किया जाएगा|

15. संस्था/ ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गये चालको/ मानवशक्ति को निगम की और से भोजन, आवागमन संसाधन, चिकित्सा आदि उपलब्ध नही करवाया जायेगा | इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित चालक/ मानवशक्ति प्रदाता संस्था की होगी |

16. ठेकेदार/ संस्था द्वारा चालको/ श्रमिको का भुगतान अनिवार्यरूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा अर्थार्त किसी भी प्रकार का नगद भुगतान स्वीकार्य नही होगा | सम्बंधित ठेकेदार/ संस्था द्वारा चालको/ श्रमिको के खाते में जमा करवाई गयी राशि का विवरण राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार को आगामी माह के बिलों के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा | चालको/ श्रमिको के बैंक खाते में जमा करवाई गयी राशि के विवरण बाबत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार की संतुष्टि होने पर ही ठेकेदार/ संस्था को आगामी माह के बिलों का भुगतान किया जायेगा | बिलों का भुगतान 30 दिनों के भीतर (अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़ कर) मासिक आधार पर आवश्यक टैक्स काटकर किया जायेगा |

17. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974, अनुबंधित श्रमिक (विनिमय एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम, 1923, और समय-समय पर लागु कानूनो नियमो और विनियमों के प्रावधान के अनुपालन का वैधानिक दायित्व सिर्फ और सिर्फ चालक/ श्रमिक प्रदान करने वाली संस्था/ ठेकेदार का होगा | किसी भी नियमो, उपनियमो, अधिनियमों व अधिसूचनाओ, दिशा निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामो/ दायित्वों के लिए ठेकेदार/ संस्था स्वयं पूर्णरूपेण उतरदायी होगा |

18. यदि ठेकेदार/ संस्था व लगाये गये चालक/ श्रमिको के बिच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी ठेकेदार/ संस्था की होगी |

19. किसी भी स्थिति में, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार ठेकेदार / एजेंसी द्वारा लगाये गये श्रमिकों/ चालकों को बकाया भुगतान या देय किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और इसकी गैर-अनुपालना करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त करते हुए ठेकेदार/ संस्था को काली सूचि में डाल दिया जायेगा | यदि ठेकेदार/ संस्था उसके द्वारा उपलब्ध करवाए गये चालकों/ श्रमिकों को उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार अनुबंधित चालकों/ श्रमिकों को मजदूरी संदाय

अधिनियम, 1936 के तहत भुगतान करेगा तथा अनुबंधित चालक/ मजदुर को किये गये भुगतान की राशि की कटोती ठेकेदार/ संस्था के मासिक बिलों से की जाएगी | इस स्थिति में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही करने पर ठेकेदार/ संस्था की प्रतिभूति राशि/ EMD जब्त कर अनुबंध निरस्त करते हुए काली सूचि में डाला जायेगा।

20. ठेकेदार/ संस्था को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक चालको/ श्रमिको का भुगतान करना होगा | यदि निर्धारित समय के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार द्वारा ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा एवं 0.5 प्रतिशत प्रति बिल राशि प्रति हफ्ते से बिल के भुगतान में कटोती की जाएगी|

21. किसी भी नाबालिक (18 वर्ष से कम आयु) व कार्य करने में असक्षम व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जायेगा |

22. ठेकेदार/ संस्था द्वारा चालको/ मानवशक्ति राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड हिसार की आवश्यकतानुसार दैनिक आधार पर उपलब्ध करवाए जायेंगे | जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/ बढाई जा सकती है | यदि ठेकेदार/ संस्था द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों हेतु चालक/ श्रमिक उपलब्ध नही कराए तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बंधित अधिकारी/ कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार/ संस्था की दरों से अधिक दर पर चालक/ श्रमिक लगाकर पूर्ण कर सकेंगे जिसका भुगतान ठेकेदार/ संस्था की अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार उसकी अमानत राशि में से पेनल्टी के तौर पर काट लेगा | समय पर कार्य संपादन न करवाने व चालक/ श्रमिक उपलब्ध न करवाने व निविदा की शर्तों को न मानने पर ठेकेदार/ संस्था को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा और भविष्य में निविदा में भाग लेने से वांछित किया जायेगा | तथा धरोहर राशी को जब्त कर लिया जायेगा |

23. ठेकेदार/ संस्था को यथासंभव पूर्व में ही फार्म की मशीनरी से करवाए जाने वाले कृषि कार्य (कार्य का प्रकार व क्षेत्र) के बारे में अवगत करवा दिया जायेगा, फिर भी दिन, समय, कार्य का प्रकार, क्षेत्र का नाप जितने में कार्य करवाना है सभी प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए ठेकेदार/ संस्था को तुरन्त चालको/ श्रमिको की व्यवस्था करनी पड़ेगी |

24. ठेकेदार/ संस्था द्वारा कार्य के लिए लगाये जाने वाले चालको/ श्रमिको की सूचि नाम मय पिता का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, उम्र, पहचान पत्र की प्रति व उपस्थिति इत्यादि के लिए रजिस्टर संधारित करना होगा | जिसकी सूचि आवश्यकता पड़ने पर फार्म को भी उपलब्ध करवायी जाएगी |

25. मानवशक्ति प्रदाता संस्था द्वारा प्रदत चालको/ कामगारों को नियमित रूप से भुगतान करेंगे तथा उसकी मासिक रिपोर्ट (श्रमिको चालको को किये गये भुगतान की प्रमाणित रशीद अथवा बैंक खाते का विवरण बिल के साथ) नियमित रूप से फार्म को देना होगा |

26. मानवशक्ति प्रदाता ठेकेदार/ संस्था द्वारा लगाये गये श्रमिको/ चालको के साथ फार्म में कार्य करने के दौरान यदि कोई हादसा/ दुर्घटना होती है तो उसके लिए मानवशक्ति प्रदात ठेकेदार/ संस्था व चालक/ श्रमिक स्वयं पूर्ण रूपेण जेम्मेदार होगे |

27. ठेकेदार/ संस्था द्वारा विभिन्न कृषि कार्यो के लिए लगाये गये चालको को किये जाने वाले कृषि कार्यों को उचित मानको के अनुरूप करना होगा | यदि कृषि कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उस कार्य का भुगतान नही किया जायेगा |

28. ठेकेदार/ संस्था द्वारा फार्म पर security contract वर्तमान में नहीं लिया होना चाहिए।

29. यदि द्वितीय पक्षकार अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी तरीके से अनुबंध की किसी भी शर्त को भंग करता है या श्रमिक उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहता है तो द्वितीय पक्षकार की प्रतिभूति / अमानत राशि पुर्णतः जब्त कर ली जाएगी।

30. Arbitration/विवाचन :

यदि किसी शर्त या मामले के कारण NSCLtd और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो समय समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत इस मुद्दे को हल करना पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, दोनों की सहमति से, पक्ष मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। मध्यस्थता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और अंग्रेजी भाषा में होगी। दिल्ली के न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा।

" In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion, then it shall be binding upon the parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time. Under this provision, the Chairman cum Managing Director, National Seeds Corporation Ltd with the concurrence of both the parties shall appoint Sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by the decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The Arbitration shall be conducted at New Delhi and shall be in English language. The court of Delhi shall have the jurisdiction."

"दर अनुसूची"

फार्म पर कृषि कार्यों हेतु फार्म मशीनरी चालक उपलब्ध करवाने की दरें निम्नवत होंगी:

Sr. No.	Mechanical Operation	Total Rate/wages per Acre. /Shift/Provide with Operator including EPF, ESI, Service Charge, GST and other taxes claimed from NSC (In Rs.)
1.	Offset harrow	Rs. __________Per acre
2.	Cultivator 9 inch	Rs. __________Per acre
3.	Cultivator 18 inch	Rs. __________Per acre
4.	Planker	Rs. __________Per acre
5.	Seed Drill	Rs. __________Per acre
6.	Rotavator	Rs. __________Per acre
7.	Border harrow	Rs. __________Per shift

8.	Disc/MB Plough	Rs. __________Per acre
9.	Generator operator	Rs. __________Per shift
10.	Plough	Rs. __________Per acre
11.	Combine Harvester	Rs. __________Per acre
12.	Post Hole Digger	Rs. __________Per shift
13.	Truck Driver	Rs. __________Per shift
14.	High capacity pipe sprayer	Rs. __________Per shift
15.	Tractor mounted Aeroblast sprayer	Rs. __________Per acre
16.	Tractor mounted boom sprayer	Rs. __________Per acre
17.	Self-Propelled Shaktiman Sprayer	Rs. __________Per acre
18.	JCB operator	Rs. __________Per shift
19.	Screw pump operator	Rs. __________Per shift
20.	Puddling	Rs. __________Per shift
21.	Tractor mounted grass cutter	Rs. __________Per shift
22.	Tractor mounted karaha	Rs. __________Per shift
23.	Interculture cultivator	Rs. __________Per acre
24.	Tractor trolley transport	Rs. __________Per shift
25.	Laser leveler	Rs. __________Per shift
26.	Fertilizer spreader	Rs. __________Per acre
27.	Long base leveller	Rs. __________Per shift
28.	Tractor operated Mulcher	Rs. __________Per shift
29.	Ridger	Rs. __________Per acre
30.	Tractor operated water tanker	Rs. __________Per shift
31.	Hitch Grader Operator	Rs. __________Per shift
32.	Reaper	Rs. __________Per acre
33.	PTO Operated Thresher	Rs. __________Per shift
34.	Rotary	Rs. __________Per acre
35.	Agri Machinery Helper	Rs. __________Per shift
36.	Sprinkler System Operator	Rs. __________Per shift

इसके साक्ष्य में इसके दोनों पक्षों ने __________को अपने हस्ताक्षर किये है |

फार्म प्रमुख,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
10 कि. मी. सिरसा रोड, हिसार

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर मय सील

साक्षी न 1 .

साक्षी न1 .

साक्षी न 2 .

साक्षी न2 .

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार

तकनीक निविदा

सेवा में,

निदेशक,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार

महोदय,

निविदा दिनांक ____________ की शर्तों अनुसार निम्नांकित दस्तावेज संलग्न कर तकनिकी तुलना हेतु प्रेषित है |

आनिवार्य दस्तावेज:-

क्र. स.	**विवरण**	संलग्न (हाँ या नही)
1	फर्म का नाम व पते का प्रमाण	
2	पैन कार्ड की प्रतिलिपि	
3	फर्म के GST रजिस्ट्रेसन की प्रतिलिपि (Provisional Not Allowed)	
4	श्रमिक आपूर्ति हेतु लाईसेंस की प्रतिलिपि (Shops & Establishment)	
5	ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेसन की प्रतिलिपि	
6	ई.एस.आई. रजिस्ट्रेसन की प्रतिलिपि	
7	विगत 3 वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि	
8	विगत 3 में से किसी एक वर्ष में सम्बंधित कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र	
9	विगत 3 वर्षों में फर्म के टर्न ओवर के लिए फर्म की ऑडिटेड बैलेंस शिट की प्रतिलिपि	
10	भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण	
11	काली सूचि में नही होने का सपथ पत्रAnnexure- C के अनुसार	
12	धरोहर राशी व निविदा शुल्क जमा करवाने का प्रमाण	
13	निविदा की नियम व शर्तों की स्वीकृति हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित प्रति	
14	ठेकेदार के किसी भी नजदीकी रिश्तेदार के लिए जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के विभाग में (रिश्तेदारों) काम नहीं कर रहे हैं।	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

स्थान

दिनांक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार
Financial Bid

Sr. No.	Mechanical Operation	Total Rate/wages per Acre. /Shift/Provide with Operator including EPF, ESI, Service Charge, GST and other taxes claimed from NSC (In Rs.)
1.	Offset harrow	Rs. __________Per acre
2.	Cultivator 9 inch	Rs. __________Per acre
3.	Cultivator 18 inch	Rs. __________Per acre
4.	Planker	Rs. __________Per acre
5.	Seed Drill	Rs. __________Per acre
6.	Rotavator	Rs. __________Per acre
7.	Border harrow	Rs. __________Per shift
8.	Disc/MB Plough	Rs. __________Per acre
9.	Generator operator	Rs. __________Per shift
10.	Plough	Rs. __________Per acre
11.	Combine Harvester	Rs. __________Per acre
12.	Post Hole Digger	Rs. __________Per shift
13.	Truck Driver	Rs. __________Per shift
14.	High capacity pipe sprayer	Rs. __________Per shift

15.	Tractor mounted Aeroblast sprayer	Rs. __________Per acre
16.	Tractor mounted boom sprayer	Rs. __________Per acre
17.	Self-Propelled Shaktiman Sprayer	Rs. __________Per acre
18.	JCB operator	Rs. __________Per shift
19.	Screw pump operator	Rs. __________Per shift
20.	Puddling	Rs. __________Per shift
21.	Tractor mounted grass cutter	Rs. __________Per shift
22.	Tractor mounted karaha	Rs. __________Per shift
23.	Interculture cultivator	Rs. __________Per acre
24.	Tractor trolley transport	Rs. __________Per shift
25.	Laser leveler	Rs. __________Per shift
26.	Fertilizer spreader	Rs. __________Per acre
27.	Long base leveller	Rs. __________Per shift
28.	Tractor operated Mulcher	Rs. __________Per shift
29.	Ridger	Rs. __________Per acre
30.	Tractor operated water tanker	Rs. __________Per shift
31.	Hitch Grader Operator	Rs. __________Per shift
32.	Reaper	Rs. __________Per acre
33.	PTO Operated Thresher	Rs. __________Per shift
34.	Rotary	Rs. __________Per acre
35.	Agri Machinery Helper	Rs. __________Per shift
36.	Sprinkler System Operator	Rs. __________Per shift